न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—115 / 2022 (2022 / 279) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. नारायण पिता मांगीलाल खाती निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामेश्वर पिता मांगीलाल खाती निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. श्यामुड़ी पत्नि मांगीलाल खाती निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. हीरालाल पिता मांगीलाल खाती निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मण पिता मांगीलाल सेन निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भैरूनाथ पिता हजारी नाथ जोगी निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गणपतलाल पिता सोहनलाल सेठिया निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. शंकरलाल पिता शिवलाल खाती निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. नारायण पिता नंगजीराम तेली निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन रंगरेज — प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 28.09.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम पालरां पटवार हल्का पालरां तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 495 में अंकित आराजी संख्या 2910 / 513 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 2913 / 514 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 2916 / 500 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 2918 / 505 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 2923 / 506 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 2925 / 507 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 508 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 532 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 533 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 534 रकबा 0.05 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 1.33 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्[illegible]शानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त [illegible]राने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थीगण ने दिनांक 29.06.2022 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 15:59:35 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 20.07.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 2 व 4, 5 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 3 की अदम तामील प्राप्त होने से प्रार्थीगण अधिवक्ता उनके विरूद्व कोई कार्यवाही नही चाहते है। प्रार्थीगण खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पालरां पटवार हल्का पालरां तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 495 में अंकित आराजी संख्या 2910 / 513 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 2913 / 514 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 2916 / 500 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 2918 / 505 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 2923 / 506 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 2925 / 507 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 508 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 532 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 533 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 534 रकबा 0.05 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 1.33 है0 भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भू–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 500 / –रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000 / –रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित [illegible] हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने प[illegible] विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर न[illegible]टर मे दाखला अंकित किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 15:59:35 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 28.09.2022 [illegible] मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—115 / 2022 (2022 / 279) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. नारायण पिता मांगीलाल खाती निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामेश्वर पिता मांगीलाल खाती निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. श्यामुड़ी पत्नि मांगीलाल खाती निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. हीरालाल पिता मांगीलाल खाती निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मण पिता मांगीलाल सेन निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भैरूनाथ पिता हजारी नाथ जोगी निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गणपतलाल पिता सोहनलाल सेठिया निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. शंकरलाल पिता शिवलाल खाती निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. नारायण पिता नंगजीराम तेली निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 28.09.2022 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम पालरां पटवार हल्का पालरां तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 495 में अंकित आराजी संख्या 2910 / 513 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 2913 / 514 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 2916 / 500 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 2918 / 505 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 2923 / 506 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 2925 / 507 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 508 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 532 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 533 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 534 रकबा 0.05 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 1.33 है0 भूमि स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 500 / —रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000 / —रूपये सम्बधित भू—अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान [illegible] आत पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अग [illegible] की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बि [illegible] नजरी नक्षा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रि [illegible] प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 28.09.2022 [illegible] मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.12.19 15:59:35 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)